



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 22 राँची, सोमवार,

8 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2023

संख्या-04/नि०सं०-12-112/2014 का. 5334--श्री अनिल कुमार सिंह झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 179/20) सम्प्रति ग्रामीण विकास विभाग में प्रतीक्षारत, झारखण्ड, राँची को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 24.12.2020 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में श्री सिंह को "प्रोन्नति के योग्य" की अनुशंसा की गई थी ।

2. विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप तत्समय प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत नहीं की गई ।

3. विभागीय पत्रांक 3463 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति पर जारी रोक संबंधी विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 को आहरित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही दिनांक 24.12.2020 में प्रोन्नति के योग्य अनुशंसित कुल 132 में से 129 पदाधिकारियों को अधिसूचना संख्या 3539 दिनांक 08.06.2022 द्वारा प्रोन्नति प्रदान की गई। उक्त अधिसूचना की कंडिका-7 द्वारा शेष 03 पदाधिकारियों के विरुद्ध दण्ड अधिरोपित

रहने/विभागीय कार्यवाही संचालित रहने/निलंबित रहने के कारण प्रोन्नति रोकी गई, जिसमें श्री अनिल कुमार सिंह झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 179/20) सम्मिलित थे ।

4. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका 11 में अंकित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3542 दिनांक 08.06.2022 निर्गत है। इस अधिसूचना की कंडिका-9(iii) में यह अंकित है कि -

"श्री अनिल कुमार सिंह झांप्र०से०, कोटि क्रमांक 179/20 (विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही का क्रमांक 90) को विभागीय अधिसूचना संख्या 1676 (एच० आर०एम०एस०) दिनांक 15.02.2021 द्वारा निलम्बित किया गया है ।"

पुनः उक्त अधिसूचना की कंडिका-10 में यह उल्लेख है कि "श्री अनिल कुमार सिंह झांप्र०से०, (कोटि क्रमांक 179/20) की प्रोन्नति उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने तक लंबित रखा जाता है। श्री सिंह के आरोप मुक्त होने के बाद इनकी प्रोन्नति हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।"

5. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या 1888 (HRMS) दिनांक 24.11.2022 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

6. विभागीय संकल्प संख्या 23312 (HRMS) दिनांक 03.08.2023 द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह को आरोप मुक्त किया गया ।

7. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका-2 (vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले /आपराधिक कार्यवाही जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबंद लिफाफ में रखे गये निष्कर्ष के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उसके ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी ।

8. वाद संख्या WP(S) No- 2872/2022 अनिल कुमार सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 05.12.2022 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है

"4. Without entering into the factual aspects as to whether there are any material to initiate a Departmental proceeding against the petitioner or not, I direct the respondents to conclude the Departmental proceeding preferably within a period of six months from today. They will keep the promotional post vacant and the result of the petitioner be kept in sealed cover. The same will be opened after conclusion of the Departmental proceeding against the petitioner. If the petitioner is exonerated, he will be promoted from the dated his immediate juniors were promoted.

5. Accordingly, the instant writ application stands disposed of.”

9 विभागीय अधिसूचना सं० 3539 दिनांक 08.06.2022 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-179/20) से कनीय श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-181/20) को दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (Pay Matrix Level-11) में प्रदान की गई है।

10. अतः उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अनिल कुमार सिंह झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 179/20) को उनसे कनीय श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-181/20) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100/- ग्रेड पे 6600/-) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11 में प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

(ii) श्री सिंह की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए अवर सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

(iii) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली-74 के आलोक में श्री सिंह को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

(iv) यह प्रोन्नति याचिका संख्या WP(S) No. 625/2021 बन्दना भारती बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा WP(S)No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।
